भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 821

जिसका उत्तर 17.09.2020 को दिया जाना है

सड़कों के किनारे जलभराव का मुद्दा

821. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटीलः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सतारा जिले व अन्य स्थानों पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा नवनिर्मित/उन्नत सड़कों के आसपास के क्षेत्रों में भारी जल जमाव के मामले इन क्षेत्रों में रहने वाले किसानों और नागरिकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सड़क परियोजनाओं के कुछ हिस्सों और अनुमानों को विशेष रूप से चिह्नित किया जाता है ताकि सड़कों के किनारे जल भराव से बचने के लिए वर्षा जल की समुचित निकासी सुनिश्चित की जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रत्येक वर्ष ऐसी जल निकासी प्रणालियों के रखरखाव के लिए उपलब्ध वित्तीय प्रावधान क्या हैं; और

(ङ) किए गए कार्यों की जांच तथा उनके उचित रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र मौजूद हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख): जी, नहीं। सतारा जिले में रारा-48 (पुराना रारा-4) के पुणे-सतारा खंड की सर्विस रोड पर मामूली जल जमाव देखा गया था और उनका समाधान परियोजना के रियातग्राही द्वारा समय-समय किया गया है।

(ग) और (घ): इस राजमार्ग पर उपयुक्त स्थानों पर प्राकृतिक नालों को जोड़ने के लिए आवश्यक लांजिट्यूडनल/ क्रॉस ड्रेन्स प्रदान की जाती हैं। एक डिजाइन निर्माण वित्त प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) परियोजना होने के कारण इस परियोजना के अनुरक्षण की जिम्मेदारी रियायतग्राही की है। जल निकासी प्रणालियों का रखरखाव रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

(ड.): इस परियोजना के स्वतंत्र अभियंता नियमित रूप से साइट का दौरा करते हैं और रखरखाव में कमियों, यदि कोई हो, पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए रियायतग्राही को सुझाव देते हैं।

*****